



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 पौष, 1942 (श०)

संख्या- 20 राँची, बुधवार,

6 जनवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

28 दिसम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-151/2014(खण्ड) का.-12971 (HRMS)/ श्री विनोद कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-855A/03), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के विरुद्ध इनके जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर कार्यावधि में सहयोगी श्री सूरज सिंह के माध्यम से 19,000/- रुपये रिश्वत लेने संबंधी आरोपों के संदर्भ में इनके विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या-34/2014, दिनांक 10.11.2014 में दिनांक 26.03.2015 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 27.03.2015 को माननीय विशेष न्यायाधीश (निगरानी) न्यायालय, राँची भेजा गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

श्री कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या-6310, दिनांक 15.07.2015 द्वारा उन्हें असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49क-(2)(क) के तहत दिनांक 26.03.2015 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया है। तत्पश्चात् श्री कुमार के जमानत पर रिहा होने के पश्चात् असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49क-(1)(क) एवं (ख) के तहत हिरासत से मुक्त किये जाने की तिथि से आदेश सं0-6915, दिनांक 31.07.2015 द्वारा अगले आदेश तक उन्हें पुनः निलंबित किया गया है।

निलंबन आदेश के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में रिट याचिका (सं0-W.P.(S) No. 5411/2015) दायर किया गया है, जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 10.12.2015 को आदेश पारित किया गया, जिसमें इनके निलंबन के सभी तथ्यों पर विचार कर आदेश पारित करने हेतु निदेश दिया गया है।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं श्री कुमार के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या-34/2014, दिनांक 10.11.2014 में आरोप पत्र संख्या-10/2015, दिनांक 08.04.2015 दायर किये जाने के आलोक में विभागीय आदेश सं0-1328 दिनांक 15.02.2016 द्वारा इन्हें आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया गया तथा इनके निलंबन अवधि, जिसमें हिरासत की अवधि भी शामिल है, के संबंध में इनके विरुद्ध दर्ज थाना कांड में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के आधार पर अलग से निर्णय लेने का आदेश निर्गत किया गया।

इस मामले में, उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1509/स्था0, दिनांक 11.12.2017 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किया गया-

(i) जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान वर्ष 2014 में कार्यालय से लगभग एक माह से अनुपस्थित रहे तथा परिवहन विभाग के राजस्व संग्रह के समीक्षात्मक बैठक में भी इनके द्वारा भाग नहीं लिया गया।

(ii) श्री विनोद कुमार, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के बिचौलिया श्री सूरज कुमार को ट्रक चालक श्री शंकर लाल से 19000/- (उन्नीस हजार) ₹0 रिश्वत लेते रंगे हाथ निगरानी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो सरकार के उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 5/आरोप-1-151/2014 का0 26(अनु0) दिनांक 02.01.2015 के द्वारा दैनिक समाचार पत्र “प्रभात खबर” एवं “हिन्दुस्तान” में प्रकाशित समाचार के अनुसार निगरानी टीम द्वारा संसूचित है।

(iii) श्री विनोद कुमार, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग को श्री सूरज सिंह के माध्यम से 19000/- ₹0 रिश्वत लेने संबंधी आरोपों के कारण हिरासत में भेजा गया।

श्री विनोद कुमार, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग हिरासत में लिये जाने के घटना से इस बात की पुष्टि होती है कि जिला परिवहन कार्यालय के कार्य हेतु इनके द्वारा श्री सूरज सिंह को अवैध राशि की वसूली हेतु रखा गया था। यह कृत्य प्रशासनिक दृष्टिकोण से गैर कानूनी तथा अनुचित है। अतः श्री विनोद कुमार, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग का उक्त कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i) एवं (ii) के सर्वथा प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उपायुक्त, हजारीबाग से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1150/स्था0, दिनांक 01.10.2018 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसके समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं0-2884(HRMS), दिनांक 13.12.2018 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-72, दिनांक 28.03.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोपों के संबंध में निम्नांकित निष्कर्ष प्रतिवेदित किया गया-

आरोप संख्या-1- प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप संख्या-2- ठोस साक्ष्य के अभाव में आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

आरोप संख्या-3- ठोस साक्ष्य के अभाव में आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

साथ ही, संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दर्ज आपराधिक मामले में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करने का मंतव्य दिया गया है।

संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री कुमार के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं0-34/2014 दिनांक 10.11.2014 में माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम न्यायादेश पारित होने तक इस मामले में अग्रतर कार्रवाई स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

इस संबंध में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 24.11.2020 द्वारा विभाग में एक अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसके साथ श्री अमित शेखर, माननीय विशेष न्यायाधीश, ए0सी0बी0, हजारीबाग द्वारा निगरानी थाना कांड सं0-34/2014, दिनांक 10.11.2014, विशेष वाद सं0-45/ए14 में दिनांक 20.10.2020 को पारित न्यायादेश की प्रति संलग्न की गई है। पारित न्यायादेश में श्री कुमार को उक्त मामले में दोष मुक्त किया गया है। उक्त न्यायादेश का Operative part निम्नवत् है-

"To Sum up the entire matter, on rumination of the facts brought on the record and on consideration of oral and documentary evidence, it appears that the prosecution has miserably failed to prove the fact of demand made by the accused from the complainant to perform certain work and prosecution has further failed to prove the fact of acceptance of illegal gratification and recovery from his possession, in as much as, there is evidence on the record that the accused was neither present in his chamber nor in the premises of the D.T.O. Office and the bribe was never handed over to him and no recovery was made. It appears that the occurrence took place on 11.11.14 but he was arrested by the police on 27.03.2015 i.e. more than four months after the alleged occurrence. Evidently, the fact of demand, acceptance and recovery of gratification which are sine-qua-non for proving the charge u/s 7 & 13(2) read with section 13(1)(d) of the P.C. Act are completely missing in the prosecution case. I find that in view of point for determination no. I, the prosecution has failed to reasonably prove the demand, acceptance and recovery of gratification against the accused and I am of the considered view that the necessary ingredients of the charged offences are not satisfied. Thus, noting the discrepancy, contradictions and inconsistency in the evidence of prosecution witnesses, I am to hold that the prosecution has completely

failed to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt and therefore, in the given facts, I am constrained to extend benefit of doubt in his favour.

In the result for the foregoing discussion, I come to the definite finding that the prosecution has completely failed to prove its case against the accused namely, Binod Kumar beyond reasonable doubt and therefore, he is found not guilty for the same and acquitted there of. He and his sureties are discharged from the liability of his bail bonds. The accused is set at liberty."

माननीय विशेष न्यायाधीश, ए0सी0बी0, हजारीबाग द्वारा विशेष वाद सं0-45/ए14 में दिनांक 20.10.2020 को पारित न्यायादेश एवं मामले के समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री विनोद कुमार, झा0प्र0से0 तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग, के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-2884(HRMS) दिनांक 13.12.2018 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में उन्हें आरोप मुक्त किया जाता है।

(ख) श्री कुमार के दिनांक 26.03.2015 से 14.02.2016 तक की निलम्बन अवधि को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत पूर्ण वेतन एवं भत्ते पर कर्तव्य पर बितायी गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विनोद कुमार, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BINOD KUMAR BHR/BAS/4097	श्री विनोद कुमार, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-855A/03), तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972